

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) जलक माल/मुआयना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी कतिपयों के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) मकान निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निर्माण को शुरू करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**पंकज खिड़की व्यक्त्याधिकार राज्य डिजाइन अनुमति**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्र. 657 दिनांक 01/07/2020

प्रार्थी **राज्य डिजाइन अनुमति** मांगूर डा/8 श्री मंगीलाल भागुर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कृान संख्या-173 CS-08 चौपालती

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय मकान संख्या-173

मकान निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6500/- जमा

जरिये रसीद संख्या 1021/1743, 1743 दिनांक 01/07/2020 को जमा करा दी है ।

*90/2/7/2020*

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

**व्यक्त्याधिकार  
राज्य डिजाइन  
अनुमति**

*02/07/2020*